



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63121-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 299 वर्ष 2026

अशोक कुमार उर्फ दीपक उर्फ रिंकी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अभिषेक घोष, राम एम. कौशिक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आज दिन की कार्यवाही के दौरान इस मामले के विवेचना अधिकारी को प्रत्यर्थी संख्या 3 के रूप में और एचडीएफसी बैंक को प्रत्यर्थी संख्या 4 के रूप में रिट याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम एम. कौशिक, राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान शासकीय अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-एचडीएफसी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पार्थ गोस्वामी को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

I. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को उनकी अवैध हिरासत से पेश करने और रिहा करने का निर्देश दिया जाए, जबकि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी, निरुद्धि और रिमांड को अवैध, मनमाना और शून्य घोषित किया जाए।

II. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा अभिलेख तलब किया जाए और विद्वान एसीजेएम-II, गौतम बुद्ध नगर द्वारा वाद संख्या 694 वर्ष 2025 में पारित रिमांड आदेश दिनांक 05.12.2025 तथा उसके बाद के रिमांड आदेशों को, यदि कोई हों, अवैध और प्रारंभतः शून्य होने के कारण रद्द किया जाए।

III. प्रत्यर्थी संख्या 1 के दोषी पुलिस अधिकारियों के कार्यों पर विभागीय जांच शुरू करने के लिए परमादेश की प्रकृति में कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को 3 दिसंबर, 2025 को लगभग 18:00 बजे पटेल नगर वेस्ट, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और अवैध हिरासत में रखा गया। 4 दिसंबर,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

2025 को याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके पश्चात 4 दिसंबर, 2025 को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा एक गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया, जिसमें न तो गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और न ही उस विशिष्ट साक्ष्य का उल्लेख है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की गई थी, और अंततः 05 दिसंबर, 2025 को 03:31 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रिया इंदोरिया बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (2024) 4 एससीसी 749 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता का कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस मामले में गिरफ्तारी, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने से पहले की गई है, अतः याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत की पूरी प्रक्रिया अवैध है। रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश में इन तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है और आदेश बिना मस्तिष्क का उपयोग किए अत्यंत सतही तरीके से पारित किया गया है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप गंभीर हैं, उसने बैंक के ग्राहकों की राशि का गबन किया है।

प्रत्यर्थी-एचडीएफसी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पार्थ गस्वामी ने न्यायालय को सूचित किया कि बैंक वास्तव में पीड़ित पक्ष है क्योंकि बैंक में जमा धन का याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर गबन किया गया है और बैंक ने 6 दिसंबर, 2025 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई है जब याचिकाकर्ता हिरासत में था।

परस्पर विरोधी दलीलों को सुनने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी प्राथमिकी दर्ज होने से भी पहले की गई थी। उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था लेकिन पुलिस ने प्रिया इंदोरिया (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार उसका ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया। याचिकाकर्ता का गिरफ्तारी मेमो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 35 वर्ष 2026, उमंग रस्तोगी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता का आक्षेपित रिमांड आदेश और गिरफ्तारी मेमो एतद्वारा रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थीगण के पास कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प है।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता को आज पारित आदेश के बारे में प्रत्यर्थीगण को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आज दिन के दौरान सामान्य शुल्क के भुगतान पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान की जाएगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

26 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"